

प्रेषक,

राम सुमेर,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,
उ०प्र० लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ:दिनांक: 18 मार्च, 2020

विषय:- भारत स्काउट और गाइड के स्वयं सेवको का आपदा प्रबन्धन विषय पर प्रशिक्षण हेतु
रु० 23.54 लाख की धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रादेशिक मुख्यायुक्त, उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड, गोल मार्केट महानगर, लखनऊ के पत्र संख्या-टीएस-21ए/2119, दिनांक: 13.02.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में "आपदा प्रबन्धन विषय पर भारत स्काउट और गाइड के स्वयं सेवको का सेन्टर फार मेरी टाइम एजुकेशन एवं ट्रेनिंग संस्थान बक्शी का तालाब, लखनऊ में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु कुल धनराशि रु० 23.54 लाख (रुपये तेईस लाख चौब्वन हजार मात्र) का अनुदान उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि रुपये में)

क्रम संख्या	मद	अवधि	कुल प्रतिभागी संख्या	दर	कुल व्यय होने वाली धनराशि
1	प्रशिक्षण	03 दिन	440	रु०1000 प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	13,20,000
	भोजन एवं आवास	03 दिन	440	रु०450/- प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	5,94,000
	पंजीकरण	.	440	रु०200/- प्रति व्यक्ति	88,000
	यात्रा व्यय	.	440	रु०800/- प्रति व्यक्ति	3,52,000
	कुल योग				23,54,000

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु रु० 23,54,000/- (रुपये तेईस लाख चौब्वन हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राहत आयुक्त उ०प्र० लखनऊ के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराये जाने वाले कार्य राहत आयुक्त संगठन से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

- (3) इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिये गये मार्ग-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- (4) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2020 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2020 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (5) जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
- (6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
- (7) समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी कराई जायेगी तथा प्रतिभागियों के नाम/पदनाम, जिला/मोबाइल नं0 आदि के साथ सम्पूर्ण विवरण शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।
- (8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- 3- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत -05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-11-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,
(राम सुमेर)
संयुक्त सचिव।

संख्या:-118(1)/एक-10-2020-33(221)/2011, दिनांक: 18 मार्च, 2020

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. प्रादेशिक मुख्यायुक्त, उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड, गोल मार्केट महानगर, लखनऊ।
3. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण।
4. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/राजस्व अनुभाग-6/11
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(कपिल कुमार कटियार)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020

आवंटन दिनांक-24/03/2020

प्रेषण संख्या:- 118

आवंटन आदेश संख्या:- 149-33

अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)

05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800 - अन्य व्यय

06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय

11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरि0 वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं0 , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	2354000 9873260	2354000 9873260
	योग	वर्तमान प्रगामी	2354000 9873260	2354000 9873260

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रुपया तेइस लाख चौवन हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया अठानवे लाख तिहत्तर हजार दो सौ साठ

(उमेश कुमार उपाध्याय)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

राहत आयुक्त सं0
उ0प्र0 शासन

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020

आवंटन दिनांक-24/03/2020

प्रेषण संख्या:- 118
 आवंटन आदेश संख्या:- 149-33
 अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)
 लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
 05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
 800 - अन्य व्यय
 06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
 11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरि0 वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं0 , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	2354000 9873260	2354000 9873260
	योग	वर्तमान प्रगामी	2354000 9873260	2354000 9873260

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रुपया तेइस लाख चौवन हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया अठानवे लाख तिहत्तर हजार दो सौ साठ

(उमेश कुमार उपाध्याय)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी